संख्या-04/2016/125/55-पर्या-16-36(पर्या)/14

प्रेषक,

श्री अजय कुमार शुक्ला,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग लखनऊः दिनांकः 08 फरवरी, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-1714/पर्या/शो0वि0/पर्यावरण रिपोर्ट/2015, दिनांक 07 जनवरी, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2-2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में उल्लिखित शर्तो के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रश्नगत मद में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 20,00,000-00 (रूपये बीस लाख मात्र) में से रू0 12,00,000-00 (रूपये बारह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों/मैनुअल आदि का अनुपालन करते हुए किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर शासन अथवा सक्षम अधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त किया जायेगा।

3- उपरोक्तानुसार स्वीकृति धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-45 के लेखाशीर्षक-"3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-03-पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितक पुनरूदभवन-आयोजनागत-003-पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार-04-पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(अजय कुमार शुक्ला)
विशेष सचिव।

संख्या-04/2016/125(1)/55-पर्या-2016,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3- वित्त (व्यय-नियंत्र) अनुभाग-7, वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
4- नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1

आज्ञा से,

(आत्माराम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in